रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052021-227186
CG-DL-E-25052021-227186

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 25, 2021/ज्येष्ठ 4, 1943
No. 202] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 25, 2021/JYAISHTHA 4, 1943

IndiaCode

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई 2021

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (पाँचवा संशोधन) विनियम, २०२१

सं. पीएफआरडीए/१२/आरजीएल/१३९/९.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम २०१३ (२०१३ का २३) की धारा ५२ की उपधारा २ के उप-खंडों (ङ), (ड), (ढ), (ण) और (त) के साथ पठनीय धारा ५२ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः-

1. इन विनियमों का नाम 'पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (पाँचवा संशोधन) विनियम, २०२१' है।

2. ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, २०१५ में:-

(I) विनियम ८ में उप-विनियम १ के खंड (घ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा –

"(घ) – प्रायोजक, एकल या संयुक्त रूप से, पिछले प्रत्येक पांच वित्त वर्षों के अंतिम दिन न्यूनतम पचास करोड़ रुपये की सक्रिय मूर्त निवल मूल्य की परिसंपत्ति धारित करता हो और प्रायोजक के रूप में आवेदन करने की तिथि के समय न्यूनतम पच्चीस करोड़ रुपये की चुकता इक्विटी पूँजी धारित करता हो;"

सुप्रतिम बंदोपाध्याय, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./65/2021-22]

पाद-टिप्पणी

1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, २०१५ को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/१२/आरजीएल/१३९/९ के माध्यम से भारत सरकार के राजपत्र में भाग-III, खंड-४ में १९ मई, २०१५ को प्रकाशित किया गया ।

2. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (प्रथम संशोधन) विनियम, २०१६ को अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/१२/आरजीएल/१३९/९ के माध्यम से भारत सरकार के राजपत्र में भाग-III, खंड-४ में ८ सितम्बर २०१६ को प्रकाशित किया गया।

3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, २०२० को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/१२/आरजीएल/१३९/९ के माध्यम से भारत सरकार के राजपत्र में भाग-III, खंड-४ में, ५ फरवरी २०२० को प्रकाशित किया गया।

4. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, २०२० को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/१२/आरजीएल/१३९/९ के माध्यम से भारत सरकार के राजपत्र में भाग-III, खंड-४ में, १४ मई २०२० को प्रकाशित किया गया ।

5. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, २०२१ को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/१२/आरजीएल/१३९/९ के माध्यम से भारत सरकार के राजपत्र में भाग-III, खंड-४ में, १ अप्रैल २०२१ को प्रकाशित किया गया ।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2021

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (PENSION FUND) (FIFTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. PFRDA/12/RGL/139/9.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 read with clauses (e), (m), (n), (o) and (p) of sub-section (2) thereof of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015 namely, -

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Fifth Amendment) Regulations, 2021.

2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015: -

(I). In regulation 8, in sub-regulation (1), clause (d) shall be substituted as below-

"(d) the sponsors, individually or jointly, shall have a positive tangible net worth of at least fifty crore rupees on the last day of each of the preceding five financial years and at least twenty-five crore rupees should be the paid up equity capital on the date of making application as sponsor;"

SUPRATIM BANDYOPADHYAY, Chairperson

[ADVT-III/4/Exty./65/2021-22]

Footnote:

1. The Principal Regulations, The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 19th May, 2015 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/9.
2. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (First Amendment) Regulations, 2016 were published in the Gazette of India on 8th September, 2016 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/9.
3. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Second Amendment) Regulations, 2020 were published in the Gazette of India on 5th February, 2020 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/9.
4. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Third Amendment) Regulations, 2020 were published in the Gazette of India on 14th May, 2020 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/9.
5. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Fourth Amendment) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India on 1st April, 2021 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/9.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.05.25 21:24:50 +0530'